22.3.2021

वकील फरीकेन उपस्थित। पत्रावली में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.07.15 15:36:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट करौली

पीठासीन अधिकारी :— देवेन्द्र सिंह परमार, आर.ए.एस.

मु0नं0	आर.सी.एम.एस	तारीख रजू
2/2017	2017/00011	27.02.2017

1. नजीरन वेवा असनाद फौत
2. अजीज पुत्र असनाद फौत
3. अब्दुल सलीम | पुत्रांन अजीज
4. अब्दुल जलील | पुत्रांन अजीज
5. अब्दुल जाहिद | पुत्रांन अजीज
6. नन्नी वेवा अजीज जातियान मुसलमान निवासीयान ढोलीखार करौली तहसील करौली जिला करौली (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

1. अब्दुल रहीम | पुत्रान हफीज
2. मईनुद्दीन | पुत्रान हफीज
3. शाकरी वेवा सईद
4. सुहैल पुत्र सईद

सभी जातियान मुसलमान निवासीयान नौचोकिया मोहल्ला नदी गेट करौली तहसील करौली जिला करौली (राज0)

अप्रार्थीगण

अपील विरूद्व नामान्तरकण

निर्णय

दिनांक 22.03.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीयान ने यह आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि उनवानी दावा मु.न. 266/98 अदालत हाजा में धारा 53,88,188, आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया गया था जो दिनांक 25.11.2000 को प्राथमिक ड्रिकी किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 2774,2775,2778 लगायत 2386 व 2977 कुल किता 12 कुज रकवा 11 वीधा 8 विस्वा कस्वा करौली में वादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा वादी सख्या 3/1 ता 3/3 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी सख्या 1 को 1/3 हिस्सेदार खातेदार धोषित किया जाकर मौके की वटवारा स्कीम तलव की गयी थी। प्राथमिक ड्रिकी की कोई अपील नही की गयी है जिसका राजस्व रिकार्ड में आज तक बटवारा दर्ज नही हुआ है मौके पर शामलाती काश्त की जा रही है प्रार्थीगण वादी संख्या 2 के वारिसान है पत्रावली इन्तजार बटवारा स्कीम में चलती रही इनी दौरान प्रार्थीयान के वालिद वादी संख्या 02 अजीज का दिनांक 04.03.2004 को इन्तकाल को गया पत्रावली मं की भी अब्दुल अजीज के वारिसान को रिकार्ड पर नही लिया गया है दिनांक 20.02.2004 तक बटवारा स्कीम हेतु पत्रावली चलती रही दिनांकि 20.02.2004 से 21.08.2004 के वीच पत्रावली कहा [illegible] पत्रावली में नही है अप्रार्थी अब्दुल रहीम अतिरिक्त जिला कक्टर करौली के यहा मुलाजि[illegible] उसके पिता का देहान्त हो चुका था किन्तु वादी संख्या 3 के वारि[illegible] कोई कार्यवाही पत्रावली की आर्डरसीट मे नही है इसी दौरान न जा[illegible]त्रावली का [illegible]/91 एवं 202/2000 दर्ज हो गया एवं अप्रार्थी अब्दुल रहीम ने [illegible] एकतरफामें बिना प्रार्थीगण की जानकारी के विभाजन स्कीम तैयार करा [illegible] बिना मौके पर जाये तैयार गिरदावर एवं पटवारी से मिलकर अपनी सुविधानुसार तैयार कराली जिसकी कोई सूचना प्रार्थीगण को आज तक नही दी गई मजीदा दिनांक 28.01.2007 को फौत हो गया था। दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.07.15 15:36:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

13.08.2007 को इकतरफा बटवारा स्कीम पर फाईनल ड्रिकी पारित कर दी जिसकी प्रार्थीगण को कोई जानकारी नही थी उक्त इकतरफा बटवारा स्कीम व ड्रिकी की जानकारी दिनांक 22.02.2017 को नकल लेने पर हुयी तव प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र आकर बाद प्रस्तुत किया है। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय दिनांक 13.08.2007 को निरस्त कर पुनः बटवारा स्कीम तलव किये जाने व प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीयान दर्ज रजिसटर किया जाकर अप्रार्थीयान के जरिये नोटिस तलव किया गया

अप्रार्थीयान ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुये कथन किया है कि प्रार्थना पत्र में प्रार्थीयान सभी वाते वनावटी एंव तथ्यों के विपरीत लिखी है और गलत तथ्य दर्ज कर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसमें नजीरन व अजीज व हफीज के वारिसान वतौर मुकदमें हाजा मं फरीक दर्ज किये गये सलीम,जलील,कलाम,जाहिद पुत्रान अजीज नन्नी वेवा अजीज फातमा,सलीम,सायरा,साजिदा पत्रीय अजीज को वतौर मुकदमे में दर्ज किया है तथा हफीज के वारिसान रहीम,मईनुद्दीन, शांकरी सुहैल वतौर फरीक दर्ज मुकदमा है तथा मजीदा का मरना 28.01.2007 का लिखा है जबकि बटवारा स्कीम दिनांक 02.03.2006 को तैयार की गई जिसमें मजीदा के स्वंय के हस्ताक्षर है तथा उसके वाद फाईनल ड्रिकी वनायी गई है तथा मजीदा का मरना दिनांक 28.01.2007 का लिखा है जबकि बटवारा स्कीम दिनांक 02.03.2006 को तैयार की गई जिसमें मजीदा के स्वंय के हस्ताक्षर है तथा उसके वाद फाईनल ड्रिकी वनायी गई है मुकदमा हाजा में समस्त कार्यवाही कानूनी तौर पर चलने के वाद फाईनल ड्रिकी दिनांक 13.08.2007 को बनी है। तमाम तथ्यों की जानकारी वादीगण को है अप्रार्थी स्वंय दावा हाजा बतौर वादी दर० देहन्दागण व इनके व हमारे वुर्जुगान की ओर से पेश किया गया था वादी इस कनटा डिस्टी व नामाविली तथ्यों को लिखकर आये है कि उनको कार्यवाही का कोई इल्म ही नही था इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थना पत्र मय सहवादीगण अब्दुल रहीम,मईनुद्दीन शाकरी,व सुहैल को तंग व परेशान करने की वदयान्ति से पेश किया है। दिनांक 22.02.2017 को एकतरफा ड्रिकी की जानकारी का तथ्य एकदम कानून विपरीत लिखा है स्वंय वादी जो कि दावा लाने वाले को उनको एकतरफा ड्रिकी की बात लिखना एक तरह से अदालत पर आरोप लगाने जैसा है क्यो किइस तरह के तथ्य प्रतिवादी के खिलाफ यदि कोई एकतरफा ड्रिकी होती है तो उसमें लिखे जाते है जबकि मौजूद मुकदमें में स्वंय वादीगण का दावा स्वीकार कियागया तथा प्रारम्भिक अंतिम ड्रिकी पारित की गयी है। जिसमें प्रार्थीगण के विरूद्व कोई एकतरफा आदेश नही है धारा ऑडर 9 रूल्स 13 सी.पी.सी. के प्रावधान प्रकरण में लगे नही होते है। दिनांक 22.02.2017 को ड्रिकी की जानकारी होना गलत दर्ज किया है। अन्त में प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वहस वकील उभयपक्ष सूनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। प्रार्थीयान द्वारा अंतिम ड्रिकी दिनांक 13.08.2007 के विरूद्व यह आवेदन 10 वर्ष वाद प्रस्तुत किया है प्रकरण में किसी भी पक्ष के विरूद्व कोई एकपक्षीय आदेश पत्रावली में नही किये गये है। प्राथमिक ड्रिकी व अंतिम ड्रिकी उभयपक्ष की उपस्थिति में जारी की गयी है जिनके विरूद्व उभयपक्ष को अपील अपीलान्ट न्यायालय दायर करने का धारा 223 आर.टी.एक्ट के तहत प्रावधान दिया हुआ है। अंतिम ड्रिकी दिनांक 13.08.2007 की कोई अपील प्रार्थीयान द्वारा नही की गयी है यह प्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र के मद न02 में स्वीकृत है। 09 रूल्स 13 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र एकपक्षीय निर्णय एकपक्षीय आदेश व ड्रिकी होने पर प्रस्तुत करने का प्रावधान है जैसा कि हस्तगत प्रकरण में यह स्थिति नही रही है। प्रार्थना की प्रार्थीयान वादीगण ने प्रस्तुत किया है एकतरफा आदेश व ड्रिकी या निर्णय वादीगण के विरूद्व जारी नही किया जाता है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थीयान का सारहीन है चलने योग्य नही है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीयान 09 रूल्स 13 सी.पी.सी. ख किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2021 को खुले में लिखा जाकर सुनाया गया।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.07.15 15:36:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner